

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़
प्रार्थना पत्र/ 4/18

छोटूलाल आ० सांवला नायक निवासी बिलासरा तहसील खानपुर जिला झालावाड़
बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार खानपुर

18/5

प्रार्थना पत्र बाबत स्थगन आदेश जयें वकील प्रार्थी पेश हुआ, निषेधाज्ञा जारी करने के संबंध में प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई । प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं वकील प्रार्थी की बहस पर गोर एवं मनन करने के पश्चात हमारी राय में स्थगन दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है । अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है । प्रा०पत्र बाद तामील तकमील संलग्न मूल अपील हो निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया ।



जयें कलक्टर एवम्
जयें जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़ (राज०)